

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रामपंचायत

विधायक

जनपद- अद्वैत

ग्राम पंचायत में दिनांक... 1.5.2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-


1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

| क्रम | सदस्य का नाम      | वर्गीकरण (महिला / अनुजाती / जनजाती / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन) | पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य) | सम्पर्क सूत्र मोबाइल नं |
|------|-------------------|--|---|-------------------------|
| 1    | आनन्द कुमारी सिंह | महिला 52   | अध्यक्ष                                     | 9170628432              |
| 2    | सुनील किशन कुमार  | लोट्टी 42  | सचिव  | 9335002128              |
| 3    | आनन्द प्रताप सिंह | सूरा. 47   | कोषाध्यक्ष                                  | 8887762845              |
| 4    | रमेश              | एफ्टी 35   | सामान्य सदस्य                               | 9118896934              |
| 5    | सोजा              | 11 40  | सामान्य सदस्य                               |                         |
| 6    | गमला              | 11 60  | सामान्य सदस्य                               | 7388764579              |
| 7    | शिवकुमारी         | 11 50  | सामान्य सदस्य                               |                         |
| 8    | सुबाज सिंह        | संजाय 50   | सामान्य सदस्य                               | 7080879769              |
| 9    | बबल भुजला         | 11 40  | सामान्य सदस्य                               | 9975059959              |
| 10   | शिवपाल भुजला      | 11 50  | सामान्य सदस्य                               |                         |
| 11   | जयानंद सिंह       | 11 54  | सामान्य सदस्य                               | 9935311706              |
| 12   | भिलेवा सिंह       | 11 25  | सामान्य सदस्य                               | 9696373288              |
| 13   | अमर सिंह          | 11 55  | सामान्य सदस्य                               | 8127179635              |
| 14   | प्रवाना सिंह      | 39   | सामान्य सदस्य                               | 7905466190              |
| 15   | भंगल सिंह         | 11 50  | सामान्य सदस्य                               | 9793009691              |

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकि विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध प्रत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध करायें तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षरः-

| क्रम | सदस्य का नाम          | पदनाम         | हस्ताक्षर या निर्माण  |
|------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1    | अनिल कुमार सिंह       | अध्यक्ष       | अनिल कुमार सिंह       |
| 2    | खुजिता विश्वकर्मा     | सचिव          |                       |
| 3    | नारेन्द्र प्रताप सिंह | कोषाध्यक्ष    | नारेन्द्र प्रताप सिंह |
| 4    | मनोगां                | सामान्य सदस्य | मनोगां                |
| 5    | सरोजा                 | सामान्य सदस्य | सरोजा                 |
| 6    | मिशन कुमारी रमेला     | सामान्य सदस्य | मिशन कुमारी रमेला     |
| 7    | श्रीबक्तुमारी         | सामान्य सदस्य | श्रीबक्तुमारी         |
| 8    | शुभाष सिंह            | सामान्य सदस्य | शुभाष सिंह            |
| 9    | बंबलू शुकला           | सामान्य सदस्य | बंबलू शुकला           |
| 10   | शिवराम शुकला          | सामान्य सदस्य | शिवराम शुकला          |
| 11   | इपाम सिंह             | सामान्य सदस्य | इपाम सिंह             |
| 12   | पिलेश सिंह            | सामान्य सदस्य | पिलेश सिंह            |
| 13   | अमर सिंह              | सामान्य सदस्य | अमर सिंह              |
| 14   | पृथिवी सिंह           | सामान्य सदस्य | पृथिवी सिंह           |
| 15   | मेहला सिंह            | सामान्य सदस्य | मेहला सिंह            |

